उत्तर प्रदेश से खाड़ी के देशों को जाने वाले श्रमिक

1838 **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1986,1987 और 1988 के वर्षों में प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश से खाडी के देशों को जाने वाले श्रमिकों की सख्या क्या है, और

(ख) इस प्रकार के प्रव्रजन के और उनकी सख्या में लगातार हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री राधा कृष्ण मालवीय) :

(क) और (ख) दी गई उत्प्रवास अनुमति के आकडे राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं तथा इनके न होने पर ऐसा विश्लेषण नहीं किया जाता है।

विकलांग पुनवार्स परिषद्

1839 **श्री विश्वासराव राम राव पाटिल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विकलाग पुनवार्स परिषद् की स्थापना की है;

(ख) यदि हा, तो इस पुनवार्स परिषद् की मुख्य विशेषताए क्या-क्या हैं और

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान महाराष्ट्र में पुनर्वास परिषद ने क्या-क्या कार्य प्रारम्भ किए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव): (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सलग्न है (नीचे देखिये)

(ग) पुनर्वास परिषद स्वयं कोई पुनर्वास-कार्य नहीं करती । इसका सबंध अखिल भारतीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के व्यवसायिओं के पाठ्यक्रमों के नियमन तथा मानकीकरण से है ।

विवरण

विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र के व्यवसायिओं के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमो के मानकीकरण हेतु पुनर्वास-परिषद की स्थापना की गई थी:—

इसके कार्य इस प्रकार हैं:—

(1) व्यक्तियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना।

(2) देशभर में सरकारी सस्थाओं में इन मानको का समान रूप से नियमन करना।

(3) योग्यताओ को मान्यता देना।

(4) विदेशों में भारतीय उपाधियो को मान्यता दिलाने के लिए, विदेशी उपाधियों को पारस्परिक आधार पर मान्यता देना।

(5) योग्यताओं की मान्यता को वापिस लेना।

(6) भारत और विदेशों में संस्थाओं से शिक्षा तथा प्रशिक्षण के संबंध में सूचना एकत्र करना।

(7) भारत और विदेशों में प्रशिक्षण सस्थाओ द्वारा आयोजित परीक्षाओ का निरीक्षण करना।

(8) दोषी सस्थाओ की मान्यता वापिस लेना।

(9) भारतीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव।